न्यायालय– उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी– प्रियंका कडेला (आर.ए.एस.)

मु0नं0 14/2019 तारीख रजु–13.09.2019 निर्णय दिनांक– 13·9·25

1 श्याम सुन्दर उर्फ श्यामोदर पुत्र रामसहाय जाती ब्राम्हण, निवासी लिवाली, हालवासी शिव कोलोनी, प्यारेलाल की बगीची, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर –वादी–

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास, –प्रतिवादी–

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1. श्री योगेश कुमार शर्मा, एड. वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादी स्वयं उपस्थित

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी साविक खसरा नम्बर 812 लगायत 815, 834 लगायत 836, 842 लगायत 845, 847, 848, 850 लगायत 852, 1201 लगायत 1208, 1210, 1211, 1213 लगायत 1215, कुल किता 30 कुल रकबा 6.09 स्थित ग्राम लिवाली ए तहसील बामनवास है जिसमें वादी का 2/5 हिस्सा, किशोरीलाल, बद्रीलाल व सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण प्रभूदयाल का 1/5 हिस्सा, रमेश, जगदीश व विनोद पुत्रगण रामेश्वर का 1/5 हिस्सा, कैलाशचन्द, जगदीश प्रसाद व ओमप्रकाश पुत्रगण सीताराम का 1/5 हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से अनुसार उक्त आराजीयात को बहैसियत खातेदसर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा हैं तथा लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा हैं। किसी अन्य दीगर व्यक्ति का उपरोक्त वर्णित आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध, ताल्लुक या [illegible] वादी [illegible] श्यामोदर के नाम से पुकारते है जवकि दस्तावेजों में [illegible] श्याम सुन्दर व श्यामोदर दोनों वादी के ही नाम है, श्यामोदर नाम का कोई दूसरा व्यक्ति गांव [illegible] है। वादी को ग्राव में श्यामोदर नाम से पुकारने की वजह से ही वादी के पिता रामसहाय के निधन के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय श्याम

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:23:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

सुन्दर के स्थान पर श्यामोदर के नाम से नामान्तरकरण खोल दिया गया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय तत्कालीन सम्बन्धित पटवारी हल्का को वादी का वास्तविक नाम जानकर ही नामान्तरकरण खोलना चाहिए था। विरासत के नामान्तरकरण में वादी का नाम श्यामोदर होने से वादी को भारी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम श्यामोदर होने से व अन्य दस्तावेजों में नाम श्याम सुन्दर होने से वादी अपनी आराजी से मिलने वाले लाभ यथा के.सी.सी. आदी नहीं ले पा रहा है। वादी दिनांक 26.10.2018 को पटवारी हल्का के पास के.सी.सी. पत्रावली तैयार करवाने गया तो पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड व वादी के पहचान दस्तावेज देख कर वादी को बताया कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अलग होने व अन्य दस्तावेजों में अलग नाम होने से के.सी.सी. पत्रावली बनाया जाना सम्भव नहीं है। वादी को कहा गया कि सरपंच से प्रमाण पत्र बनवा कर व तहसीलदार से मिल कर नाम संशोधित करवाये, तभी के.सी.सी. मिल सकती है, तब वादी को राजस्व रिकार्ड में हो रही गलती से होने वाली परेशानीयों का ज्ञान हुआ, इसके उपरान्त वादी ने सरपंच ग्राम पंचायत लिवाली से प्रमाण पत्र प्राप्त किया तथा दिनांक 12.03.2019 को श्रीमान तहसीलदार बामनवास को संशोधन बाबत निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने संशोधन करने से इंकार कर दिया माननीय न्यायालय में दावा पेश कर अपेक्षित संशोधन करवाने को कहा। तहसीलदार जी ने संशोधन करने से इंकार कर दिये जाने के कारण वादी को दिनांक 12.03.2019 को वाद कारण उत्पन्न होने से दावा पेश करना आवश्यक हुआ। दावा पेश कर वाद पत्र के चरण संख्या एक में वर्णित आराजयात में अंकित खातेदार का नाम श्यामोदर पुत्र रामसहाय के स्थान पर श्याम सुन्दर पुत्र [illegible] संशोधित किये जाने तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने का [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:23:12 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वादपत्र न्यायालय में मुकदमा नम्बर 14/2019 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलव किया गया। बाद तलवी प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश कर कथन किया कि प्रार्थी श्याम सुन्दर उर्फ श्यामोदर एक ही व्यक्ति है गांव

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है श्यामोदर के स्थान पर श्याम सुन्दर पुत्र संशोधित किया जाना उचित है।

प्रकरण में निम्न विवाद्यक कायम किये गये –

1. आया वाद पत्र के मद संख्या–1 में वर्णित भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 812 लगायत 815, 834 लगायत 836, 842 लगायत 845, 847, 848, 850 लगायत 852, 1201 लगायत 1208, 1210, 1211, 1213 लगायत 1215 कुल किता 30 कुल रकबा 6.09 हेक्टर स्थित ग्राम लिवाली पटवार हल्का लिवाली–ए तहसील बामनवास में श्यामोदर पुत्र रामसहाय के नाम के स्थान पर श्यामसुन्दर पुत्र रामसहाय घोषित कराने का अधिकारी है। –वादी–
2. अनुतोष

वाद पत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमावंदी हाल, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत लिवाली, फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटो प्रति भामासाह कार्ड पेश कर वादी श्याम सुन्दर उर्फ श्यामोदर पी.डब्ल्यू–1 व नाथूराम पी.डब्ल्यू–2 के बयान लेखबद्ध कराये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर गनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन किये जाने के उपरान्त तनकीवार निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं –

तनकी संख्या –1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी श्याम सुन्दर ने पी.डब्ल्यू–1 अपने मुख्य परीक्षण में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए अपने स्वयं के समर्थन में नकल जमावंदी हाल, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत लिवाली, फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटो प्रति भामासाह कार्ड पेश कर स्वयं के व नाथूराम पी.डब्ल्यू–2 बयान लेखबद्ध कराये हैं। गवाह नाथूराम पी.डब्ल्यू–2 ने भी वादी के कथनों का समर्थन किया है। उक्त गवाहान से प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:23:12 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में पेश दस्तावेज व बयान का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी द्वारा पेश दस्तावेज के अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी वाद पत्र के मद संख्या–1 में वर्णित भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 812 लगायत 815, 834 लगायत 836, 842 लगायत

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

845, 847, 848, 850 लगायत 852, 1201 लगायत 1208, 1210, 1211, 1213 लगायत 1215 कुल किता 30 कुल रकबा 6.09 हेक्टर स्थित ग्राम लिवाली पटवार हल्का लिवाली–ए तहसील बामनवास में श्यामोदर पुत्र रामसहाय के नाम के स्थान पर श्यामसुन्दर पुत्र रामसहाय घोषित कराने का अधिकारी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से तनकी संख्या 1 वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल होने से वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध विनिश्चित की जाती है।

2 अनुतोष:

चूंकि विवाद्यक संख्या–1 को साबित करने का भार वादी पर था जिसे वादी अपने पक्ष में साबित करने मे सफल रहा है। विवाद्यक संख्या–1 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध विनिश्चित की गई है। इस प्रकार वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्तानुसार वाद वादी बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होने से वाद वादी डिक्री किया जा कर वाद पत्र के मद संख्या–1 में वर्णित भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 812 लगायत 815, 834 लगायत 836, 842 लगायत 845, 847, 848, 850 लगायत 852, 1201 लगायत 1208, 1210, 1211, 1213 लगायत 1215 कुल किता 30 कुल रकबा 6.09 हेक्टर स्थित ग्राम लिवाली पटवार हल्का लिवाली–ए तहसील बामनवास में श्यामोदर पुत्र रामसहाय के नाम के स्थान पर श्यामसुन्दर पुत्र रामसहाय घोषित किया जाता है। प्रतिवादी तहसीलदार बामनवास को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया [illegible] ली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद त[illegible] म रहन होने की स्थिति में बैंक[illegible] की पालना की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.9.25 को खु[illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(प्रियंका करेला)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:23:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकद्दमें इब्तदाई

Judl/Civil (Order 20 Rule 6 CPC)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अदालत : उप जिला कलेक्टर मुकाम बामनवास

इजलास : प्रियंका कडेला आर.ए.एस.

1 श्याम सुन्दर उर्फ श्यामोदर पुत्र रामसहाय जाती ब्राम्हण, निवासी लिवाली, हालवासी शिव कोलोनी, प्यारेलाल की बगीची, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर —वादी—.	ब ना म	1 लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास, जिला सवाई माधोपुर —प्रतिवादी—

मुकदमा नम्बर— 14/2019

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता** मिनजानिब मुद्दई **स्वयं उपस्थित** मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि—

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती डिकी किया जा कर वाद पत्र के मद संख्या—1 में वर्णित भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 812 लगायत 815, 834 लगायत 836, 842 लगायत 845, 847, 848, 850 लगायत 852, 1201 लगायत 1208, 1210, 1211, 1213 लगायत 1215 कुल किता 30 कुल रकबा 6.09 हेक्टर स्थित ग्राम लिवाली पटवार हल्का लिवाली—ए तहसील बामनवास में श्यामोदर पुत्र रामसहाय के नाम के स्थान पर श्यामसुन्दर पुत्र रामसहाय घोषित किया जाता है। प्रतिवादी तहसीलदार बामनवास को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें।

पर्चा डिकी आज [illegible] के हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:23:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(प्रियंका कडेला)

उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner